

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं0सं0-05/स्था0-(एम0भी0आई0) 18/2012

दिनांक

आदेश

विभागीय आदेश सं0-69 दिनांक 10.01.2013 द्वारा नवनियुक्त 2 (दो) मोटरयान निरीक्षक का योगदान उनके नाम के सामने कंडिका 4 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया गया है। निम्नलिखित इन 02 (दो) मोटरयान निरीक्षकों को अगले आदेश तक उनके नाम के सामने कंडिका 5 में अंकित जिले में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	नव नियुक्त मोटयान निरीक्षकों के नाम	गृह जिला	मुख्यालय में योगदान स्वीकृति की तिथि	पदस्थापन का जिला
01	02	03	04	05
1	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	बक्सर	10.01.2013 पूर्वाह्न	पूर्णियाँ
2	श्री राजीव रंजन	रोहतास	10.01.2013 पूर्वाह्न	समस्तीपुर

- उक्त नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों को मुख्यालय में योगदान स्वीकृति की तिथि से अनुमान्य वेतन एवं भत्तों का भुगतान उनके पदस्थापन वाले जिले के जिला परिवहन कार्यालय से किया जायेगा।
- संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षक के प्रथम माह के वेतन की निकासी हेतु सरकारी प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित प्रक्रियानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- नवनियुक्त मोटरयान निरीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर अपने पदस्थापन वाले जिले में योगदान देते हुए प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- श्री पाण्डेय को जिला परिवहन कार्यालय पूर्णिया में मोटरयान निरीक्षक के रिक्त पद पर किया गया है। श्री रंजन को जिला परिवहन कार्यालय समस्तीपुर में योगदान देने पर श्री गिरीश कुमार मोटरयान निरीक्षक जो अतिरिक्त प्रभार में हैं नवपदस्थापित मोटरयान निरीक्षक को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
- इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह0/-

प्रधान सचिव

सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्णिया एवं समस्तीपुर/ श्री सुशील कुमार पाण्डेय, श्री राजीव रंजन एवं श्री गिरीश कुमार मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/ सभी विभागीय पदाधिकारी/कर्मि/बजट शाखा, परिवहन विभाग/स्थापना शाखा परिवहन विभाग एवं लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव

सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक

पटना,दिनांक

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

प्रधान सचिव

सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक

276

पटना,दिनांक

31/1/2013

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

/
a. s. s. 31/1/13

प्रधान सचिव

सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।